सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज प्रारम्भिक शिक्षा

कमांक एफ 915 (7)पंराप्राशि/2016/970 जयपुर दिनांक 13/9/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :– तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 के संबंध में।

संदर्भ :– माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के नवम्बर 2016 में पुनः संशोधित परिणाम के कारण वरीयता से बाहर होने वाले शिक्षकों के सेवा से पृथक्कीकरण अथवा नवीन पदों के सृजन तथा नव सृजित पदों को भरने के परिणाम स्वरूप होने वाले रोस्टर विरूपण (Distortion) संबंधी विषय के साथ ही पुनः संशोधित परिणाम के कारण वरीयता से बाहर होने वाले पूर्व नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण/वेतन एरियर सहित अन्य परिलाभ के भुगतान संबंधी, एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 750/2017 मुकेश कुमार टेलर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 तथा संशोधित आदेश दिनांक 06.03.2017 की पालना में उपलब्ध रिक्त पदों को भरने हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2001 में प्रदत्त प्रावधानों में शिथिलता की अनुमति के संबंध में विचार–विमर्श एवं निर्णय हेतु माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

पूर्व में विभाग की ओर से पत्रांक 1099 दिनांक 24.11.2017 के द्वारा आपको विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या 1(2) में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये थे –

"पुनः संशोधित परिणाम अनुसार प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर के लिये विषयवार, श्रेणीवार विज्ञापित पदों की संख्या तक उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार तैयार की गई वरीयता सूची में प्राप्तांकों के आधार पर यदि पूर्व में नियुक्त एवं कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थी स्थान प्राप्त नही करते है अर्थात चयन से बाहर होते है, उन्हें निर्धारित पदों में से कोई पद रिक्त रहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर समायोजित किया जावें।"

संभवतः आप द्वारा इन निर्देशों की पालना की जा चुकी है। यदि किसी जिले द्वारा अभी तक इसकी पालना नही की गई है तो इस बिन्दु 1(2) तथा बैठक दिनांक

www.rajteachers.com

23.08.2017 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 3 में प्रदत्त निर्देशानुसार एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10622/2014 रामधन कुमावत बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में श्रेणीवार, विषयवार रिक्त पदों पर पूर्व में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो नवम्बर 2016 में जारी. पुनः संशोधित परिणाम के अनुसार वरियता से बाहर हो रहे है, का समायोजन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(मेघराज सिंह रतनू)
उपायुक्त (प्रशिक्षण)
एवं अति0 निदेशक एस.बी.एम

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. विशिष्ठ सहायक, मान0 शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्राविपंराज विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (प्रशिक्षण)
एवं अति0 निदेशक एस.बी.एम

www.rajteachers.com